हाथरस कांड : पुलिस ने दाखिल किया 32 सौ पन्नों का आरोपपत्र

कार्यक्रम में कुप्रबंधन के लिए आयोजकों को दोषी ठहराया

हाथरस, 2 अक्तूबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस जिले में इस साल दो जुलाई को नारायण साकार हरि 'भोले बाबा' समागम के दौरान हुई भगदड़ के मामले में अदालत में 3200 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया। इस घटना में 121 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में चार अक्तूबर को सुनवाई होगी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपपत्र में 11 लोगों को मुल्जिम बनाया है जिनमें कार्यक्रम की अनुमति हासिल करने वाले लोग भी शामिल हैं। बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह ने बताया कि पुलिस ने 3200 पन्नों का आरोपपत्र न्यायालय में पेश कर दिया। अदालत ने आरोपियों को आरोपपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराने की तारीख चार अक्तूबर तय की है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को कार्यक्रम के मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर सहित 10 आरोपियों को अलीगढ़ जिला जेल से हाथरस जिला अदालत में पेश किया गया। एक आरोपी मंजू यादव फिलहाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद बाहर है। सिंह ने बताया कि मामले की अलग से न्यायिक जांच भी हो रही है।

सिकंदराराऊ क्षेत्र के फुलराई गांव की घटना में हुई थी 121 लोगों की मौत। आरोपपत्र में 11 लोगों को मुल्जिम बनाया है जिनमें कार्यक्रम की अनुमति हासिल करने वाले लोग भी शामिल हैं।

हाथरस जिले के सिकंदराराऊ क्षेत्र के फुलराई गांव में दो जुलाई को सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के समागम के दौरान हुई भगदड़ में कुल 121 लोगों की मौत हो गई थी जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। पुलिस समेत सरकारी एजंसियों ने कार्यक्रम में कुप्रबंधन के लिए आयोजकों को दोषी ठहराया है। प्रशासन ने कहा था कि आयोजकों ने कार्यक्रम में 80 हजार लोगों की भीड़ जमा होने की बात कही थी लेकिन वहां ढाई लाख लोग इकट्ठा हो गई। हालांकि नारायण साकार हरि 'भोले बाबा' के वकील ने दावा किया था कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा जहरीला स्प्रे छिड़कने के कारण भगदड़ मची थी। इसी भगदड़ में एक-दूसरे को कुचलने के कारण 121 लोगों की मौत हो गई थी।

ईशा फाउंडेशन आश्रम की पुलिस ने ली तलाशी

नई दिल्ली, 2 अक्तूबर (ब्यूरो)।

कोयंबटूर के एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में 150 पुलिसकर्मियों के एक दल ने ने मंगलवार को जांच के लिए थोंडामुथुर स्थित ईशा फाउंडेशन के आश्रम की तलाशी ली। यह कार्रवाई मद्रास हाई कोर्ट द्वारा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों पर रपट मांगे जाने के एक दिन बाद की गई।

पुलिस की इस कार्रवाई में तीन डीएसपी भी शामिल रहे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य सावधानीपूर्वक जांच करना और फाउंडेशन के कमरों की तलाशी लेना है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए ईशा योग केंद्र ने कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार, एसपी समेत पुलिस सामान्य जांच के लिए ईशा योग केंद्र आई है। वे निवासियों और स्वयंसेवकों से पूछताछ कर रहे हैं, उनकी जीवनशैली को समझ रहे हैं, यह समझ रहे हैं कि वे कैसे आते हैं और कैसे रहते हैं। न्यायालय ने सेवानिवृत्त प्रोफेसर एस कामराज द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए कोयंबटूर ग्रामीण पुलिस को जांच कर रपट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। उन्होंने दावा किया कि उनकी दो बेटियों गीता कामराज और लता कामराज को कोयंबटूर स्थित फाउंडेशन में उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संगठन लोगों का बहला कर उन्हें साधु बना रहा है और उनके परिवारों से उनका संपर्क सीमित कर रहा है। न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और वी शिवगनम ने सवाल उठाया कि सद्गुरु, जैसा कि वे अपने अनुयायियों के बीच जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी की और उसे घर बसाने में मदद की, वे अन्य युवतियों को अपना सिर मुंडवाने, सांसारिक जीवन त्यागने और अपने योग केंद्रों में संन्यासी की तरह रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब कामराज ने अपनी याचिका में दावा किया कि उनकी दो बेटियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोयंबटूर के वेल्लियांगिरी की तलहटी में स्थित संगठन के योग केंद्र में रखा गया है। वहीं अदालत में दोनों महिलाओं ने कहा कि वे स्वेच्छा से केंद्र में रह रही हैं तथा उन्होंने किसी भी प्रकार के दबाव या हिरासत में लिए जाने से इनकार किया। याचिका में दावा किया गया है कि फाउंडेशन ने बहनों को भोजन और दवाइयां दीं, जिससे उनकी संज्ञानात्मक क्षमताएं कम हो गई, जिसके कारण उन्होंने अपने परिवार से सभी संबंध तोड़ लिए। अब, याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि संस्था कुछ लोगों का दुरुपयोग कर रही है, उनको बहलाकर उन्हें भिक्षु बना रही है और यहां तक कि उनके माता-पिता को भी भिक्षुओं से मिलने की अनुमति नहीं दे रही है। अदालत ने अतिरिक्त सरकारी अभियोजक ई राज थिलक को चार अक्तूबर तक विस्तृत स्थिति रपट पेश करने का निर्देश दिया, जिसमें फाउंडेशन के खिलाफ सभी लंबित आपराधिक मामलों को शामिल किया जाना चाहिए।

मद्रास हाई कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया कि याचिकाकर्ता की दो बेटियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोयंबटूर के वेल्लियांगिरी की तलहटी में स्थित संगठन के योग केंद्र में रखा गया है।

सरकार ने दी गैर-वन विभागों को वन क्षेत्रों में आपदा रोकने की अनुमति

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 अक्तूबर।

केंद्र ने कहा है कि राज्य वन विभाग के पास आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता के अभाव में आपात स्थितियों में वहां अन्य सरकारी विभागों को प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए वन क्षेत्रों में वानिकी गतिविधियां चलाने की अनुमति दी जा सकती है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जारी दिशानिर्देश में विस्तार से कुछ उपायों का उल्लेख किया है जिन्हें वन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं को रोकने या उनके प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पत्र लिखकर जंगल में बार-बार आग लगने की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए प्रभावी उपाय तलाशने और विकसित करने को कहा था, जिसके बाद ये दिशानिर्देश जारी किए गए।

मंत्रालय की वन परामर्श समिति की 27 अगस्त को हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार आपातकालीन स्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदाओं में उन वन क्षेत्रों में कुछ वानिकी गतिविधियां की जा सकती हैं, जहां वन्यजीवों, मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की जरूरत होती है।

बरेली में पटाखा कारखाने में विस्फोट, तीन लोगों की मौत

बरेली, 2 अक्तूबर (भाषा)।

जिले के सिरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को पटाखा फैक्टरी में विस्फोट होने से तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। इस विस्फोट से आसपास की कुछ इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है।

आइजी (बरेली रेंज) राकेश सिंह ने बताया कि सिरौली क्षेत्र में पटाखे बनाने वाली एक इकाई में विस्फोट होने से तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। विस्फोट होने से आसपास की तीन-चार इमारतों को भी नुकसान हुआ है।

Before the Central Government Registrar of Companies, 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi - 110019

In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009

In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3) AND In the matter of VIJAS ENTERPRISES LLP having its registered office at Plot No. C-2, B-77-C, Janakpuri C-3, West Delhi, New Delhi-110058 Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi - 110019 under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from NCT of Delhi to state of Uttar Pradesh".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by Registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registrar of Companies, 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi - 110019, within 21 twenty one days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its registered office at the address mentioned above.

For and on behalf of
VIJAS ENTERPRISES LLP

Sd/-
(Vishesh Sagar Agnihotri)
ADDRESS: 402 Lincoln Tower C, Grand Omaxe Sector 93b, Noida, Uttar Pradesh-201305
Date: 3rd October, 2024
Place: Noida

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का नवरत्न उपक्रम) (A Navratna Undertaking of Govt. of India)

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सं.	CON/AREA-II/ENGG/CO-WFD/E-86426/2024-25
कार्य का नाम	[illegible]
अनुमानित लागत	[illegible]
पूर्णता अवधि	[illegible]
धरोहर राशि	[illegible]
निविदा दस्तावेज़ की बिक्री	[illegible]
निविदा प्रक्रिया शुल्क (अप्रतिदेय)	[illegible]
निविदा बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	03.10.2024 (15:00 बजे) से 28.10.2024 (17:00 बजे तक)
निविदा जमा करने की तिथि व समय	28.10.2024 17:00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि एवं समय	29.10.2024 [illegible]

www.concorindia.co.in, www.tenderwizard.com/CCIL [illegible]

कार्यकारी निदेशक (क्षेत्रीय), फोन नं. 011-41222500

Criminal Court, Ludhiana

In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Sawach JMIC, Ludhiana
M/s Axis Bank Ltd Vs Naveen Chauhan
[illegible]

Criminal Court, Ludhiana

In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Sawach JMIC, Ludhiana
M/s Axis Bank Ltd Vs Kapil Walia
[illegible]

ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
OMKARA

कॉर्पोरेट कार्यालय: [illegible], मुंबई-400028
rajesh.jumani@omkaraarc.com/ zuber.khan@omkaraarc.com/ pratik.rasal@omkaraarc.com, दूरभाष: 022-6923111
प्राधिकृत अधिकारी फोन नं.: (91) 96579 69231

[परिशिष्ट IV-A] 9 (1) के साथ पठित नियम 8 (6) का प्रावधान देखें।

अचल संपत्ति के ई-नीलामी विक्रय की सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 (1) के साथ पठित नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("सरफेसी अधिनियम") के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना।

[illegible] (ईएमडी), निरीक्षण की तिथि और समय का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	उधारकर्ता (ओं) / गारंटी / बंधककर्ताओं के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति के विवरण	संपत्ति के स्वामी	24.09.2024 के अनुसार बकाया देयराशियां (रु. में)	मांग सूचना तिथि	अधिग्रहण तिथि	आरक्षित मूल्य (रु. में)	बोली वृद्धि राशि (रु. में)	ईएमडी (रु. में)	निरीक्षण की तिथि तथा समय
1.	मेसर्स एसबीसी इंडस्ट्रीज (उधारकर्ता), श्री सुंदर लाल (भागीदार/गारंटर), श्री बृजेश कुमार (भागीदार, गारंटर), श्रीमती इंद्रा देवी (भागीदार गारंटर) और श्री मनोज कुमार (भागीदार गारंटर)	संपत्ति औद्योगिक प्लॉट संख्या जी-15 जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर [illegible] 301030 के सभी अंग। इसकी सीमा इस प्रकार है: उत्तर की ओर: 45 मीटर चौड़ा सड़क, दक्षिण की ओर: प्लॉट संख्या जी-22, 23, पूर्व की ओर: प्लॉट संख्या जी-14, पश्चिम की ओर: प्लॉट संख्या जी-16।	मेसर्स एसबीसी इंडस्ट्रीज	रु. 2,81,83,215/- (रुपये दो करोड़ इक्यासी लाख तिरासी हजार दो सौ पंद्रह मात्र)	14.05.2022	07.08.2024 (भौतिक)	1,70,00,000/- (रुपये एक करोड़ सत्तर लाख मात्र)	50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)	17,00,000/- (रुपये सत्रह लाख मात्र)	15.10.2024 दोपहर 12:00 बजे से 1:00 बजे तक (पूर्व निर्धारित के अनुसार)

खाता संख्या: 344905001084, लाभार्थी का नाम: ओमकारा पीएस 06/2021-22 ट्रस्ट, बैंक का नाम: आईसीआईसीआई बैंक, शाखा वाडा (ई) मुंबई, आईएफएससी कोड: आईसीआईसी0003449

भागीदारी के लिए बोली पत्र/केवाईसी प्रलेख, ईएमडी का प्रमाण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तथा समय	05.11.2024 को शाम 6:00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि तथा समय	07.11.2024 को दोप. 12:00 से अप. 2:00 बजे

नीलामी के नियम तथा शर्तें: विक्रय के विस्तृत नियम तथा शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत ऋणदाता (ओएआरपीएल) की वेबसाइट अर्थात http://omkaraarc.com/auction.php अथवा सेवा प्रदाता की वेबसाइट अर्थात http://www.bankeauction.com पर दिए गए लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 (1) के साथ पठित नियम 8 (6) के अंतर्गत विक्रय की सांविधिक सूचना

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 (1) के साथ पठित नियम 8 (6) के अंतर्गत, तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के [illegible] कम से कम 30 (तीस) दिवसीय एक अनिवार्य सूचना भी है।

तिथि: 03.10.2024
स्थान: अलवर

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(ओमकारा पीएस 06/2021-22 ट्रस्ट के एक ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत)

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION PVT. LTD. MUMBAI

PAVNA INDUSTRIES LIMITED
CIN: L34109UP1994PLC016359
Regd. Office: Vimlanchalhari Nagar Aligarh Uttar Pradesh- 202001
Email- cs@pavnagroup.com; Mb No: +91-8006409332, website: www.pavna.in

NOTICE

Notice is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of the members of the Company will be held on Wednesday, October 23, 2024 at 11:00 A.M. (IST) through physical means at Pavna International School, Aligarh-Agra Highway, near Mangalayatan Mandir, Aligarh, Uttar Pradesh-202001. The Company has sent the Notice of the EGM on Tuesday, October 1, 2024 through electronic mode to the members who have registered their email addresses with the Registrar and Transfer agent ("RTA") of the Company/Depository Participant(s) ("DP") in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with relevant Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 (hereinafter collectively referred to as "The Circulars") to transact businesses set out in the Notice of the EGM.

The Notice of the EGM is available on the Company's website at www.pavna.in and on the website of NSE Ltd at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com.

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Company is providing the e-voting facility to all its Members to cast their vote on all the resolutions set forth in the Notice of the EGM and the said Members may transact such business contained in the said Notice through voting by electronic means by electronic voting system provided by National Securities Depository Limited ("NSDL").

The details of remote e-voting are given below:

1] The e-voting period will commence on Sunday, October 20, 2024 at 9:00 a.m. IST and ends on Tuesday, October 22, 2024 at 5:00 p.m. IST. Thereafter, the e-voting module will be disabled.

2] The voting rights of Members shall be in proportion to their share of paid-up capital of the Company as on the cut-off date i.e. Wednesday, October 16, 2024. Once a vote is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

3] The Company is also offering the facility for e-voting during the EGM for the members attending the meeting, who have not cast their votes by remote e-voting. However, Members who have already cast their votes by remote e-voting prior to the EGM, may attend the EGM but shall not be entitled to vote.

4] A member can only opt for one mode of voting i.e. either through remote e-voting or e-voting during the EGM. If any member casts vote by more than one mode, then voting done through remote e-voting shall prevail.

5] Any person, who acquires shares of the Company and becomes a shareholder after the dispatch of the Notice of EGM and holding shares as on cut-off date i.e. Wednesday, October 16, 2024 may obtain login ID & password for e-voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

The result of the e-voting/ voting at EGM shall be declared on or before October 25, 2024. The result declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be displayed at the Registered Office of the Company and also be placed on the Company's website and be communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call at 0522-6672325 or send a request to kaushalk@nsdl.com

Place: Aligarh
Date: 01.10.2024

From the Order of the Board of Directors of
PAVNA INDUSTRIES LIMITED
Sd/-
Swapnil Jain
Managing Director

खेलमंत्री ने समुद्र तट से साफ किया प्लास्टिक कचरा

नई दिल्ली, 2 अक्तूबर (भाषा)।

खेलमंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी तटीय और समुद्र तट स्वच्छता अभियान का पोरबंदर में नेतृत्व किया। इसके साथ ही 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान का समापन भी हो गया जो 17 सितंबर से 'स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता' थीम के तहत चल रहा था।

ई-नीलामी बिक्री सूचना
(आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 32 और 33 के अंतर्गत

लार्क लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

[illegible] https://www.bankeauctions.com [illegible]

[illegible] FDRL0001355 [illegible]

आईबीबीआई पंजीकरण संख्या - आईबीबीआई/आईपीए-001/आईपी-पी01050/2017-18/11714
परिसमापक - लार्क लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापनाधीन)

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
(पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)
SMFG India Credit

मांग सूचना

[illegible]

तिरवी रखी गई अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के स्वामी: श्रीमती सुषमा कुकरेजा
संपत्ति का विवरण: सेक्टर-18 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की ले आउट योजना में, फरीदाबाद, तहसील एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित मकान सं. 404, माप 35 वर्ग यार्ड्स।

[illegible]

स्थान: फरीदाबाद, तिथि: 03 अक्तूबर, 2024
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
TATA
पंजी. कार्यालय: 11वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
सीआईएन नंबर: U67190MH2008PLC187552

कब्जा सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित।

[illegible]

दिनांक: 03.10.2024
स्थान: गुरुग्राम
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए